

## जी0एस0टी0 माइग्रेशन संबंधी F.A.Q.

प्रश्न 1	जिन लोगों के PAN CARD, फर्म नेम, कांस्टीट्यूशन आदि में परिवर्तन हुआ है, उनके संशोधित प्रोविजनल आई0डी0 पासवर्ड कब तक आयेंगे ?
उत्तर 1	Updation सम्बन्धी समस्त डाटा दिनांक 03/05/2017, 23/05/2017, 06/06/2017 तथा 15/06/2017 को GSTN Prov.ID Creation हेतु भेजा हुआ है, जो कि अभी तक अप्राप्त है। लगातार GSTN को Data भेजने हेतु request किया जा रहा है।
प्रश्न 2	जिन लोगों के Correct PAN होने के बावजूद भी प्रोविजनल आई0डी0 व पासवर्ड नहीं आये हैं, उनके कब तक आयेंगे ?
उत्तर 2	दिनांक 03/05/17 से 15/06/17 तक कुल 82097 data Prov.ID. Creation हेतु GSTN भेजा जा चुका है। जिसमें से मात्र 31905 Prov.ID दिनांक 15.06.2017 को समय 12:20 अपराह्न में प्राप्त हुये हैं जो कि incremental data से सम्बन्धित है। जो कि नये Registered dealer या नये Correct PAN का data है। यह data sector officer के login पर भेजा जा चुका है।
प्रश्न 3	जिन लोगों के प्रोविजनल आई0डी0 व पासवर्ड आ गये हैं, उनके द्वारा login करने पर मैसेज आता है कि आपका प्रोविजनल आई एक्टीवेट नहीं है, वह क्या करे ?
उत्तर 03	ऐसे case को helpdesk@gst.gov.in पर फारवर्ड करते हुए cc:praveen.kumar@gst.gov.in, kp.verma@gst.gov.in, ctithqlu-up@nic.in पर भेजें।
प्रश्न 4	RC Under Cancelled वाले प्रकरणों में व्यापारी को क्या जवाब दिया जाये ?
उत्तर 04	RC Cancelled वाले Cases में यदि व्यापारी हमारे विभाग में वर्तमान में Active दिखा रहा है तो, ऐसा data GSTN Prov. ID restoration के लिए भेजा जाना है। अभी तक 5559 व्यापारियों का data restoration के लिए GSTN भेजा जा चुका है जो अभी तक अप्राप्त है।
प्रश्न 05	Documentation की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी verification pending व ARN जनरेट न होने वाले मामलों में क्या किया जाये ?
उत्तर 05	GSTN द्वारा enrollment प्रक्रिया में OTP Verification की बाध्यता हटा दी गई है। समस्त details भर कर application save करने पर भी ARN generate हो जायेगा।
प्रश्न 06	जिन व्यापारियों के PAN विवरण सही है, फिर भी Invalid PAN show होने के मामले में क्या किया जाये ?
उत्तर 06	ऐसे case को helpdesk@gst.gov.in पर फारवर्ड करते हुए cc: praveen.kumar@gst.gov.in,

	<b>kp.verma@gst.gov.in, ctithqlu-up@nic.in पर भेजें।</b>
प्रश्न 7	विभिन्न व्यापारियों द्वारा बताया जा रहा है कि उनके सही प्रोवीजनल आई0डी0 न आने के कारण वेंडर्स के द्वारा उनके आर्डर नहीं दिये जा रहे हैं; क्योंकि वेंडर्स आर्डर के लिए प्रोवीजनल आई0डी0 व ARN नम्बर मांग रहे हैं, उनको क्या कहा जाये ?
उत्तर 07	सभी Correct PAN वाले पंजीकृत व्यापारियों को data GSTN को भेजा जा चुका है। Enrollement पुनः 25 जून 2017 से आरम्भ होगा। IT अनुभाग पूर्ण प्रयासरत है कि सभी Prov. ID 25 जून 2017 से पूर्व आ जाये। करदाता को उपलब्ध कराई गई Prov. ID ही उसका GSTIN है जिसके माध्यम से करदाता द्वारा Billing की जा सकती है।
प्रश्न 08	यदि प्रोवीजनल आई0डी0 व पासवर्ड का उपयोग डीलर से भिन्न किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर लिया गया है, उसमें व्यापारी क्या करे ?
उत्तर 08	Prov. ID तथा पासवर्ड को करदाता के उपयोगार्थ ही प्राप्त कराया गया था। इस समस्या का समाधान GSTN स्तर पर अपेक्षित नहीं है। 01 जुलाई 2017 से GST लागू होने के उपरान्त इसका समाधान कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर दिया जाना सम्भावित है।
प्रश्न 9	जिन व्यापारियों के प्रोवीजनल आई0डी0 आ गये हैं, किन्तु पासवर्ड नहीं आये हैं वह क्या करे ?
उत्तर 9	ऐसे Cases को आई0टी0 अनुभाग भेजें। Password सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त करा दिया जायेगा। पूर्व में भी जिन अधिकारियों द्वारा ऐसे Cases inform किये गये, उन्हें Password दे दिया गया है।
प्रश्न 10	एक PAN नम्बर पर पूर्व में पंजीकृत फर्म निरस्त है, नवीन फर्म जो Active है का प्रोवीजनल आई0डी0 आ गया है किन्तु उसको Active करने पर वह पुरानी फर्म का Data उठा रहा है, ऐसे में क्या किया जाये ?
उत्तर 10	ऐसे Cases को ctithqlu-up@nic.in पर मेल करें। इनका data check कर GSTN पुनः भेजा जायेगा।
प्रश्न 11	VAT विभाग में फर्म पार्टनरशिप में पंजीकृत है लेकिन आये नवीन प्रोवीजनल आई0डी0 में उसका कांस्टीट्यूशन भिन्न आ रहा है ?
उत्तर 11	01 जुलाई 2017 से GST लागू होने के उपरान्त Amendment की प्रक्रिया के माध्यम से करदाता द्वारा Constitution को update किया जा सकता है।
प्रश्न 12	GST Portal से ARN प्राप्त करने के उपरान्त करदाता को आगे क्या कार्यवाही करनी है ?
उत्तर 12	GSTN की वेबसाइट पर Download Certificate option में जाकर करदाता अपना Provisional Registration Certificate दिनांक 27.06.2017 से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 13	यदि करदाता द्वारा अपनी GST Prov. ID को Activate करते हुए GST Portal पर समस्त सूचनाएं भर दी गयी है, परन्तु DSC / e-sign की समस्या के कारण application verify नहीं हो पायी है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाये ?
उत्तर 13	ऐसी स्थिति में GST Portal द्वारा उक्त सूचनाओं को सत्यापित करते हुए सही पाये जाने पर करदाता के Registered e-mail ID पर दिनांक 27.06.2017 के पश्चात ARN प्रेषित कर दिया जायेगा ।  यदि Validation / error आता है, जैसे कि (PAN not Matching आदि ) तो करदाता GST Portal पर दिनांक 27.06.17 के पश्चात् पुनः login कर अपनी application में पुनः correct कर ARN प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 14	यदि करदाता द्वारा अपना GST ID Activate कर लिया गया है तथा enrollement form पूर्ण नहीं किया जा सका है तो ऐसी स्थिति में करदाता द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?
उत्तर 14	दिनांक 25.06.2017 से GST लागू होने के 90 दिन तक form upload करने की कार्यवाही करदाता द्वारा पूर्ण की जा सकती है ।
प्रश्न 15	GST के अन्तर्गत नया पंजीयन कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
उत्तर 15	दिनांक 25.06.17 से GST Portal पर नये पंजीयन हेतु Apply कर GSTIN प्राप्त किया जा सकता है।
प्रश्न 16	यदि कतिपय कारणों से करदाता का ARN जनरेट नहीं हो पाया है तो वह दिनांक 01.07.2017 से GST व्यवस्था में बिलिंग कैसे करेगा ?
उत्तर 16	करदाता को उपलब्ध करायी गयी प्रोवीजनल आई0डी0 ही उसका GSTIN है जिसके माध्यम से वह बिलिंग कर सकता है।
प्रश्न 17	GST Portal पर Migration कब खुलेगा ?
उत्तर 17	GST Portal पर enrollement की प्रक्रिया दिनांक 25.06.17 से पुनः आरम्भ होगी ।